# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

गुलाब कंवर वगैरह बनाम नरपत सिंह वगैरह

किस्म मुकदमा राजस्व वाद नं. 168 सन् 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 31/12/2018 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुंभसिंह चौधरी एडवो. ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 89, 91, 188 R.T. राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 29/01/2019 को पेश हो। | 43 / 29/01/19 |
| 29/01/19 | वादीनी के वकील उपस्थित। प्रतिवादियों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अन्य ड्यूटी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 27/02/19 को पेश हो। | |
| 27/02/19 | वादीनी के वकील उपस्थित। प्रतिवादियों के सम्मन तामील अदम तामील अप्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश में पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 09/04/19 को पेश हो। | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:46:40 IST
Reason: SelfAttested

09/04/19 वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के समन तामील शुदा तामील रिपोर्ट। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 से 6 की ओर से वकील श्री रवेलाराम जाखड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली प्रतिवादी संख्या- 1, 2 व 4 से 6 के जवाब व शेष की तलबी के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 27/05/19 को पेश हो।

27/05/19 वादी व प्रतिवादी संख्या- 1, 2 व 4 से 6 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, माईन्ड पेश करना चाहते हैं प्रतिवादी संख्या 3, व 7 बावजूद तामील मजकूर। प्रतिवादी संख्या- 3 व 7 के विरुद्ध न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या 3 व 7 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है प्रतिवादी संख्या- 1, 2 व 4 से 6 के अधिवक्ता को जवाब हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 26/06/19 को पेश हो।

26/06/19 वादी व प्रतिवादी संख्या- 1, 2 व 4 से 6 के वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, माईन्ड पेश करना चाहते हैं ~~[illegible]~~ पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, अन्तिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 28/08/19 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:46:40 IST
Reason: SelfAttested

| व हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28/08/19 | पुकार फरीकैन उपस्थित / प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, मोहलत पेश करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/10/19 को पेश हो। | |
| 14/10/19 | पुकार फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया मोहलत पेश करना चाहते हैं। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 20/11/19 को पेश हो। | |
| 20/11/19 | पुकार फरीकैन उपस्थित / प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या- 1, 2 व 4 से 6 की ओर से इकबाली जवाबदावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 14/01/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 14/01/2020 | पुकार फरीकैन उपस्थित / वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादिनी स्वयं PW-1 गुलाबकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नि देवीसिंह जाति- राजपुत निवासी- मलवा तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर व PW-2- रणसिंह पुत्र हेमसिंह जाति- राजपुत निवासी- लाखुन्डा तरली (मलवा) तह० गिड़ा जिला- बाड़मेर के बयान-हल्फ पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी स्वयं ने [illegible] कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं वादी साक्ष्य [illegible] किये जाकर पत्रावली वास्ते बहस [illegible] को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | [illegible] उपस्थित<br>रणसिंह |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:46:40 IST
Reason: SelfAttested

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 05/02/2020 | बकुलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पृथक जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। <br> [signature] <br> सहायक कलक्टर <br> (SDO) बायतु |

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:46:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S. )

राजस्व वाद संख्या– 168 / 2018

| वादीनीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. गुलाबकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी देवीसिंह जाति राजपूत निवासी मलवा तहसील गिड़ा<br>2. सतुकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी जालमसिंह जाति राजपूत निवासी लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा<br>3. कैलाशकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी मलवास तहसील गिड़ा जिला–बाड़मेर | | 1. नरपतसिंह पुत्र किशोरसिंह<br>2. चन्दनसिंह पुत्र किशोरसिंह<br>3. मेगसिंह पुत्र किशोरसिंह<br>4. सवाईसिंह पुत्र डूंगरसिंह<br>5. नागसिंह पुत्र डूंगरसिंह<br>6. धापूकंवर पत्नी डूंगरसिंह प्रतिवादी संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता धापूकंवर पत्नी डूंगरसिंह जाति राजपूत निवासी लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा<br>7. प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा परेउ<br>8. तहसीलदार, गिड़ा |

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.</u>

उपस्थित :– 1. श्री कुम्भसिंह चौधरी वकील वादीगण
2. श्री खेताराम जाखड़ प्रतिवादी संख्या 1,2 व 4 से 6

–: निर्णय :– दिनांक 05 / 02 / 2020

वादीनीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा लापुन्दड़ा तरली पटवार मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252, 253, 322, 449 / 269 रकबा क्रमशः 00.01, 00.04, 14.14, 00.06, 50.14, 00.11, 21.15 बीघा में आई हुई है। वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एक ही पूर्वज करणसिंह के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीनीगण के भाई है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीनीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीनीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीनीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीनीगण की पैतृक भूमि है और वादीनीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीनीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि ... काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरुष ... पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पत्ति में अधिकार ... जाता है अतः वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:46:40 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में प्रत्येक वादीनीगण 1/12-1/12 हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीनीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 व 4 से 6 द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि मे वादीनीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 27.05.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 व 4 से 6 का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीनीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीनीगण के दादा करणसिंह के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीनीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीनीगण करणसिंह के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीनीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीनीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा लापुन्दड़ा तरली पटवार मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252, 253, 322, 449/269 रकबा क्रमशः 00.01, 00.04, 14.14, 00.06, 50.14, 00.11, 21.15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से के साथ वादीनीगण प्रत्येक को 1/12-1/12 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। निर्णय अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:46:40 IST
Reason: SelfAttested

## अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| गुलाबकंवर पुत्री किशोरसिंह पत्नी देवीसिंह वगैरह | | नरपतसिंह पुत्र किशोरसिंह वगैरह |

**दावा बाबत 88, 40, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

राजस्व वाद संख्या–168 / 18. **निर्णय दिनांक :– 05.02.2020**

वादी की ओर से वकील श्री कुम्भसिंह चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.02.2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लापुन्दड़ा तरली पटवार मण्डल लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 249, 250, 251, 252, 253, 322, 449 / 269 रकबा क्रमशः 00.01, 00.04, 14.14, 00.06, 50.14, 00.11, 21.15 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से के साथ वादीनीगण प्रत्येक को 1 / 12–1 / 12 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादीनीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का हिस्सा पूर्व की भांती संबंधित बैंक में रहन रहेगा। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

## वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प<br>4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 16:46:40 IST
Reason: SelfAttested